

Roll No.

E-1215

LL. B. (Part III) (First Semester)
EXAMINATION, Dec.-Jan., 2020-21

Paper First

COMPANY LAW

(Indian Companies Act, 2013 with Amendments)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Attempt any *five* questions. All questions carry equal marks.

1. आर. मेथलॉन बनाम बॉम्बे लाइफ इन्श्योरेंस कॉर्पोरेशन लि. ए. आई. आर. 1953, सु. को. 195 के वाद के तथ्य एवं प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

Briefly state the facts and principles of law laid down in the case of *R. Methlone vs. Bombay Life Insurance Corporation Ltd.*, A. I. R. 1953, S. C. 195.

P. T. O.

2. “एक कम्पनी अपने सदस्यों से भिन्न अस्तित्व रखती है।” इस कथन की विवेचना कीजिए तथा इस नियम के अपवादों का वर्णन कीजिए।

“A company has separate existence from its members.”
Discuss this statement and state the exceptions of this rule.

3. क्या कम्पनी एक विधिक व्यक्ति है ? समझाइए।

Is Company a legal person ? Explain.

4. ‘बहुमत के नियम’ की व्याख्या निर्णीतवादों की सहायता से कीजिए।

Explain the ‘Majority Rule’ with the help of decided cases.

5. उचित एवं साम्यपूर्ण आधार पर किसी कम्पनी के परिसमापन की विवेचना कीजिए।

Discuss the winding-up of a Company on Just and Equitable ground.

6. अंशों के वितरण से सम्बन्धित कम्पनी अधिनियम की व्यवस्थाएँ स्पष्ट कीजिए। अनियमित वितरण के परिणामों पर प्रकाश डालिए।

Explain the provision of the Companies Act regarding the allotment of shares. Explain the effect of irregular allotment.

7. निर्देशकों की नियुक्ति, कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए।

Describe the appointment, duties and rights of Directors.

[3]

8. कम्पनी की सभाएँ कितने प्रकार की होती हैं ? इन सभाओं में प्रस्ताव कैसे पारित किये जाते हैं ? समझाइए।

What is the classification of a company ? How resolution can be passed in a company ? Discuss.

9. अधिकारातीत सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

Describe the Ultra vires theory.

10. ऋणपत्र स्कंध को परिभाषित कीजिए। ऋणपत्र स्कंध एवं ऋणपत्र में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

Define debenture stock. Distinguish between debentures stock and debentures.